

कार्यालय जिलाधिकारी, बस्ती।

(खनन अनुभाग)

संख्या:-**459**/खनन सहायक/विज्ञप्ति-ड्रेजिंग/सा0 बालू/2024-25

दिनांक **03-06-2024**

उपखनिज के निस्तारण/निकासी के लिए ई-निविदा आमंत्रण हेतु सार्वजनिक सूचना :

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या/फाइल नं0 86-01099/51/2023-लखनऊ दिनांक 19.03.2024 में दिये गये निर्देशानुसार जनपद बस्ती तहसील बस्ती स्थित ग्राम मईपुर, महुआपार, गगांपुर तथा तहसील हरैया स्थित ग्राम कटरिया चोंदपुर में घाघरा नदी में ड्रेजिंग एवं चैनेलाइजेशन के फलस्वरूप भण्डारित ड्रेज्ड मैटिरियल/साधारण बालू को निस्तारित किये जाने हेतु 03 माह की अल्प अवधि के लिए ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से बालू हटाये जाने हेतु निम्नवत् उपलब्ध घोषित किया जाता है एवं उपरोक्तानुसार दिनांक **19.06.24** से दिनांक **24.06.24** सायं 5:00 बजे तक क्षेत्र से भण्डारित बालू उठान हेतु www.etender.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

उपलब्ध ड्रेज्ड मैटिरियल साधारण बालू का विवरण -

क्र 0 सं0	तहसील का नाम	स्थल/ग्राम जहां ड्रेज्ड मैटिरियल साधारण बालू एकत्रित/भण्डारित है।	उप खनिज का नाम	लाट सं0	एकत्रित बालू की मात्रा घनमी0 में	ऑक्षाश	देशान्तर	साधारण बालू की प्रचलित दर रुपये में	न्यूनतम आरक्षित मूल्य रुपये में	आरक्षित मूल्य का 25% अर्नेस्ट मनी रू0 में
1	बस्ती सदर	मईपुर, महुआपार गगांपुर	ड्रेज्ड मैटिरियल / साधारण बालू	1	9000	A 26.55775	82.73302	65.00 प्रति घनमी0	585000	146250
2				13500	A 26.55741	82.73365				
3				13125	A 26.55799	82.73479				
4				5600	A 26.55806	82.73573				
5				14875	A 26.55809	82.73645				
6				13125	A 26.55822	82.73842				
7				18900	A 26.55835	82.73964				
8				28750	A 26.5586	82.74126				
9				21600	A 26.55873	82.74217				
10				57750	A 26.55891	82.74286				
11				19000	A 26.55903	82.74445				
12	हरैया	कटरिया चोंदपुर		01	15343	-	-		997295	249324

शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

- 1- उप खनिज निकासी की अधिकतम अवधि 03 माह तक होगी। जिसमें कोई विस्तार अनुमन्य नहीं होगा।
- 2- ड्रेज्ड भण्डारित बालू हटाने की अधिकतम अवधि 03 माह तक अथवा नदी के जल स्तर बढ़ने, अथवा ड्रेजिंग का कार्य पुनः शुरुआत होने जिससे परिवहन मार्ग अवरुद्ध होने के कारण बालू हटाना सम्भव न हो, जो भी पहले घटित हो मान्य होगा। किसी भी दशा में अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।
- 3- कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई-निविदा संलग्न प्रारूप-2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होगी:-

- (क) विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र/भण्डारित बालू स्थल विज्ञप्ति किया गया हो।
- (ख) विज्ञप्ति में क्षेत्र/भण्डारित बालू स्थल का क्रमांक।
- (ग) निविदाकार का नाम व पिता का नाम, पता (स्थाई और वर्तमान) ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर
- (घ) उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए उसने निविदा प्रस्तुत की है जिसमें निम्न हो-
उपखनिज का नाम -
तहसील का नाम -
भण्डारित स्थल का नाम/ग्राम -
- (ङ) निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता स्थाई और वर्तमान, ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में कोई एक मान्य होगा- आधार कार्ड/ वोटर आईडी/पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण)
- (च) खनिज के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली दर, जो खनिज के लिए उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगा।
- (छ) एकत्रित किये गये बालू की मात्रा (घनमी०) को नियमावली 2021 की अनुसूची-1 में उपखनिज की प्रचलित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी उसका 25% के समतुल्य राशि का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी बस्ती के पक्ष में अग्रिम रूप में दी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई-निविदा खोल जाने के पूर्व निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा, उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
- (ज) खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र
- (झ) उस जिले के जिलाधिकारी से जारी चरित्र प्रमाण-पत्र व हैसियत प्रमाण-पत्र जहां वह स्थाई रूप से निवास करता है।
- (ञ) पैन कार्ड, जी०एस०टी० एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र।
- 4- ई-निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 19.06.24 से दिनांक 24.06.24 को सायं 5:00 बजे तक ई-टेंडर पोर्टल www.etender.up.nic.in पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई-निविदा अपलोड की जा सकेगी।
- 5- विज्ञप्ति के अनुसार सात कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्यदिवस अर्थात दिनांक 25.06.24 को अपराह्न 3:00 बजे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित ई-टेंडर समिति के सदस्यों द्वारा खोला जायेगा।
- 6- बिन्दु संख्या-3 में उल्लिखित वांछित अभिलेख तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई-टेंडर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या-3 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक 25.06.24 को अपराह्न 12.00 बजे तक जमा करना होगा तथा बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, क्षेत्र का क्रमांक अंकित करना होगा।
- 7- क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रतिघनमी० के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा भण्डारित बालू हटाने सम्बन्धी सहमति पत्र (लेटर आफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
- 8- जिलाधिकारी कोई कारण बताये बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
- 9- भण्डारण स्थल अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।
- 10- क्षेत्र से निकासी की जानें वाली खनिज के प्रति घनमी० के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सहमति पत्र (लेटर आफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा। सहमति पत्र

- निर्गत होने के दो दिवस के अन्दर अवशेष सभी धनराशि जमा करना होगा। अन्यथा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर दी जायेगी, जिसके लिए कोई दावा/प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी।
- 11- निविदाकार को बालू भण्डारण स्थल से मुख्य मार्ग तक की व्यवस्था/निर्माण स्वयं के व्यय पर करना होगा। किसी तृतीय पक्ष के विवाद की स्थिति में राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।
 - 12- ई-निविदा में दी गयी दर को गुणाकर वास्तविक धनराशि निकाली जायेगी अग्रिम रूप में जमा 25% की धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि आदेश निर्गत करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।
 - 13- ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा गुणवत्ता एवं भण्डारित स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर निविदाकर्ता स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - 14- मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
 - 15- नियमावली 2021 की अनुसूची-1 में उपखनिज (साधारण बालू) की वर्तमान में प्रचलित रायल्टी दर रूपये 65/- घनमी0 है।
 - 16- निविदाकर्ता के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र से बालू उठान/परिवहन से यदि किसी तीसरे पक्ष को कोई क्षति पहुँचती है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारक उत्तरदायी होगा।
 - 17- भण्डारण स्थल पर बालू जहां भी है जिस अवस्था में है उसका सत्यापन स्वयं आवेदक करेगा। टेण्डर स्वीकृत होने के बाद प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
 - 18- निर्धारित अवधि में प्राप्त निविदाओं को दिनांक 25.06.24 को अपराह्न 3:00 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में गठित निविदा समिति के सदस्यों एवं निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोला जायेगा।
 - 19- सफल निविदादाता को देय निविदा रायल्टी धनराशि पर 02% टी0सी0एस0, 10% जिला न्यास निधि देय होगी।

(अन्द्रा वामसी)

जिलाधिकारी,
बस्ती।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या भूतत्व एवं खनिकर्म।
4. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद बस्ती को व्यापक प्रचार प्रसार कराने हेतु।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को एन0आई0सी0 के विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. मुख्य अभियन्ता, सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यशाला मण्डल प्रथम, कानपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, बस्ती।
9. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट-बस्ती को मुख्य सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
10. सम्बन्धित समिति के सदस्यों व अपर जिलाधिकारी, बस्ती को इस आशय के साथ प्रेषित कि निदेशालय भूतत्व एवं खनिकर्म से डी0एस0सी0 मैपिंग कराते हुए ई-टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बस्ती।

ड्रेज्ड मैटरियल/साधारण बालू निस्तारण हेतु ई-निविदा प्रपत्र

1	विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा ई-निविदा आमंत्रित की गयी हो	
2	विज्ञप्ति में क्षेत्र क्रमांक/लाट संख्या	
3	निविदाकार का नाम	
4	निविदाकार के पिता का नाम	
5	स्थायी पता	
6	वर्तमान पता	
7	मोबाइल नम्बर	
8	ई-मेल आईडी	
9	पैन कार्ड नम्बर एवं जी0एस0टी पंजीयन संख्या	पैन कार्ड की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
10	पता का प्रमाण-पत्र(पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा) आधार कार्ड/वोटर आईडी0/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण।	पहचान-पत्र की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
11	जिस क्षेत्र के निविदा दी जानी है उसका विवरण क. उप खनिज का नाम- ख. जनपद का नाम- ग. तहसील का नाम- घ. ड्रेज्ड मैटरियल भण्डारण का स्थल- ड. क्षेत्र क्रमांक/लाट संख्या-	
12	निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र/शपथ पत्र	घोषणा पत्र/शपथ पत्र की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
13	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र व हैसियत प्रमाण-पत्र.	चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत प्रमाण पत्र की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी
14	खनिज के प्रति घन मी0 के लिए दी जा रही दर जो नियमावली 2021 के प्रथम अनुसूची में उस खनिज के लिए निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।	रू0- प्रति घन मी0 (अंको में) रू0- प्रति घन मी0 (शब्दों में)
15	विज्ञप्ति में क्षेत्र के लिए दी गई ड्रेज्ड मैटरियल भण्डार की मात्रा	-----घनमीटर
16	क्षेत्र में ड्रेज्ड मैटरियल भण्डार की मात्रा को नियमावली के अनुसूची-1 में उपखनिज के लिए प्रचलित रायल्टी दर से गुणा करने पर जो धनराशि आती है उसका 25 प्रतिशत के समतुल्य अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ का विवरण	बैंक ड्राफ्ट की धनराशि ---- बैंक का नाम व शाखा----- बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नहीं गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

दिनांक:-

स्थान:-

निविदाकार के हस्ताक्षर